



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 467]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 नवम्बर 2021—अग्रहायण 5, शक 1943

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 नवम्बर 2021

क्र. एफ-2-16-2021-लोसेप्र-पी.एस.जी.-38.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश संचालक बायलर की पूर्व में जारी अधिसूचना क्र. एफ-2-13-2012-इक्सठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-38, दिनांक 07 जून, 2017 एवं अधिसूचना क्र. एफ-2-23-2017-इक्सठ-लो.से.प्र.-पी.एस.जी.-38, दिनांक 10 अक्टूबर, 2017 को अधिक्रमित करते हुए निम्नानुसार सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिये निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम अधिसूचित करती है, अर्थातः—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत¹
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अन्तर्गत मध्यप्रदेश संचालक बायलर की सेवाएं.

सेवा क्र.	सेवाएं (1)	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम (3)	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम (5)	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम (7)
38.1	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत बायलर का पंजीयन.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज तथा जलदाब परीक्षण सूचना प्राप्त होने के दिनांक से).	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.2	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत बायलर का निरीक्षण.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम के एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज तथा जलदाब परीक्षण सूचना प्राप्त होने के दिनांक से).	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
38.3	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम के एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
38.4	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम के एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
38.5	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर सुधारक के रूप में पंजीयन.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम के एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.
38.6	भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 388 के अन्तर्गत बायलर के स्थानांतरण की अनुमति.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम के एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38.7	बायलर अधिनियम 1923 की धारा 4 सी के अन्तर्गत बायलर के विनिर्माण की अनुमति.	उप संचालक बायलर, निरीक्षक बायलर ग्रेड-एक, निरीक्षक बायलर ग्रेड-दो, भोपाल.	07 कार्य दिवस (बायलर अधिनियम एवं विनियम के अन्तर्गत सभी आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने के दिनांक से)	संचालक बायलर, भोपाल.	30 दिवस	प्रमुख सचिव, म. प्र. शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल.

2. राज्य सरकार एतद्वारा निम्न सेवाएं—

सेवा क्रमांक 38.1 – बायलर अधिनियम 1923 की धारा 7 के अन्तर्गत बायलर का पंजीयन

सेवा क्रमांक 38.2 – बायलर अधिनियम 1923 की धारा 8 के अन्तर्गत बायलर का निरीक्षण

सेवा क्रमांक 38.3 – भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर निर्माणकर्ता इकाईयों का अनुमोदन

सेवा क्रमांक 38.4 – भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर इरेक्शनकर्ता इकाईयों का अनुमोदन

सेवा क्रमांक 38.5 – भारतीय बायलर विनियम 1950 के विनियम 392(5) के अन्तर्गत बायलर सुधारक के रूप में पंजीयन

सेवा क्रमांक 38.7 – बायलर अधिनियम 1923 की धारा 4 सी के अन्तर्गत बायलर के विनिर्माण की अनुमति

को मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मान्य अनुमोदन हेतु अधिसूचित करती है।

रिमार्क—मान्य अनुमोदन के 120 दिवस के अन्दर बायलर मालिक/संस्था को बायलर अधिनियम 1923 एवं भारतीय बायलर विनियम 1950 के प्रावधान अन्तर्गत निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश शर्मा, उपसचिव.